कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक– 11–11–2016

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, बैरगनियॉ
जिला– सीतामढी

महाशय,

नगर पंचायत, बैरगनियॉ के वर्ष 2012–13 से 2015–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 287 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14608/274 दिनांक– 11–11–2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सीतामढी

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

प्रारूप निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 287/16–17

भाग – I

प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :– नगर पंचायत बैरगनियॉ
2. लेखा की अवधि :– 2012–2013 से 2015–16 तक
3. लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र :– अंकेक्षण में प्रस्तुत व जॉच किए गए पंजी व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– I में एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :– 13.05.16 से 20.05.16 तक
5. प्रशासन :–

1) मुख्य पार्षद का नाम **अवधि**

श्रीमती सुशीला देवी 01.04.12 से 08.06.12 तक

मो0 बशीर अंषारी 09.06.12 से वर्तमान तक

2) उपमुख्य पार्षद का नाम **अवधि**

श्रीमति कैलाश देवी 01.04.12 से 08.06.12 तक

श्री जमीरी लाल साह 09.06.12 से वर्तमान तक

3)नगर कार्यपालक पदाधिकारी

कम संख्या	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	अवधि	
		कब से	कब तक
1	श्री हेमन्त कुमार	01.04.12	25.09.14
2	श्री आशुतोष आनंद	25.09.14	09.09.15
3	श्रीमति मीरा कुमारी	09.09.15	वर्तमान तक

6 लेखापरीक्षा दल के सदस्य

1. श्री तनवीर हसन, व0ले0प0 अधिकारी
2. श्री सुबोध प्रसाद, स0ले0प0 अधिकारी
3. श्री आलोक कुमार, स0ले0प0 अधिकारी
4. श्री मनीष कुमार, ले0 परीक्षक

7 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालनः– अप्रस्तुत

8. कार्यपालक से वार्तालाप की गई :– हॉ

9. लेखापरीक्षा का परिणामः–

अंकेक्षण के दौरान वसूली कराई गई राशि :– शून्य

वसूली हेतु सुझाई गई राशि – 2293632 रू

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि – 4387283 रू

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III पर)

10 बजटः–

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यय तब तक नही किया जा सकता जब तक कि उसके लिए बजट में उपबंध न हो। परन्तु नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2012–13 का

123

बजट नहीं बनाया गया था। इस प्रकार उक्त वर्ष में व्यय किये गये राशि 21535746.00 रुपये अप्राधिकृत था।

वर्ष 2013–14 से वर्ष 2015–16 का बजट बनाया गया, जिसके वास्तविक आय– व्यय में काफी बड़ा अन्तर था । विवरण निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	2013&14	2014&15	2015&16
बजट के अनुसार आय	181472840.00	178854660.00	208264204.00
वास्तविक आय	34433486.00	29859978.00	80426693.00
अन्तर प्रतिशत में।	18.97%	16.61%	38.62%
बजट के अनुसार व्यय	192673971.00	179754660.00	192412422.00
वास्तविक व्यय	22503745.00	29683853.00	64874135.00
अन्तर प्रतिशत में।	11.68%	16.51%	33.72%

इस प्रकार नगर पंचायत का बजट वास्तविक्ता के अनुरुप नहीं था।

कार्यालय का जवाबः– वर्ष 2012–13 का बजट कतिपय कारणों से नहीं बनाया जा सका, परंतु व्यय सशक्त स्थायी समिति/बोर्ड के निर्णय के आलोक में किया गया था। आगे से बजट बनाने की कार्रवाई वास्तविकता के आधार पर किया जाएगा एवं सरकार से प्राप्त निदेशों के आलोक में की जा रही है।

अतः बजट वास्तविकता के अनुरूप बनाया जाय।

11. अनुदान

नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप लेखापरीक्षा अवधि के प्रारंभ में अव्यवहृत अनुदानों की राशि, अनुदान की प्राप्ति, उपयोग तथा लेखापरीक्षा अवधि के अंत में अव्यवहृत अनुदान की राशि की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी।

यद्यपि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न रोकड़ बही के अनुसार विभिन्न मदों के अंतर्गत 95912123.00 रू अनुदान प्राप्त हुआ था।

(विवरणी परिशिष्ट–IV पर संलग्न)

अतः अनुदान पंजी का संधारण कराया जाय एवं अव्यवहृत अनुदान का यथाशीघ्र उपयोग किया जाय।

12. वित्तीय अधिदृश्यः–

सामान्य रोकड़बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक वित्तीय संव्यवहार निम्न थाः–

वित्तिय वर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
प्रारंभिक शेष	29405959	35857515	47787256	47963381
वर्ष की प्राप्ति	27987302	34433486	29859978	80426693
कुलप्राप्ति	57393261	70291001	77647234	128390075
वर्ष का व्यय	21535746	22503745	29683853	64874135
अन्तशेष	35857515	47787256	47963381	63515940

13. स्वीकृत बल व कार्यरत बल

नगर पंचायत के स्वीकृत बल की संख्या मात्र दस है एवं उसमें कनीय अभियंता तथा प्रधान सहायक –सह– लेखापाल का पद रिक्त था। वर्त्तमान में नगर पंचायत के दायित्वों को ध्यान में रखते हुये स्वीकृत बल की संख्या पर्याप्त प्रतीत नहीं होती है। रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयास किया जाय एवं वर्त्तमान परिस्थिति को देखते हुए नगर पंचायत के स्वीकृत कार्य बल का नये सिरे से आकलन किया जाय।

भाग–II(क)– शून्य

भाग–II(ख)

कण्डिकाः– 1 वसूली गई राशि जमा नहीं, राशि रू 4.64 लाख

विभिन्न वसूलकर्ताओं द्वारा होल्डिंग व विविध मद में वसूल की गई राशि 4139973.00 रू में से 3675839.00 रू जमा किया गया था तथा राशि 464134.00 रू कम/नहीं जमा किया गया था।

कार्यालय का जवाबः–आकस्मिक आवश्यक्ताओं के कारण राशि बैंक में जमा नहीं किया गया है।

जवाब मान्य नहीं है। नियमानुसार प्राप्त राजस्व को सर्वप्रथम जमा किया जाना है उसके बाद ही राशि का व्यय किया जाना है। राशि रू0 464134.00 जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कराया जाय।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– V पर)

कण्डिकाः–2. आपूर्तिकर्त्ताओं को अनुचित लाभ, राशि रु0 9.63 लाख

नगर पंचायत द्वारा क्रय की गयी सामग्रियों की संचिकाओं के नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा आपूर्तिकत्ताओं के विपत्रों से सरकार द्वारा अधिसूचित दर से करों की कटौती नहीं करके उन्हे अनुचित लाभ पहुँचाया गया। इलेक्ट्रीकल सामग्रियों पर सरकार द्वारा 13.50 प्रतिशत वैट का अधिरोपण किया गया है परन्तु नगर पंचायत द्वरा मात्र 5% की दर से ही वैट की कटौती की गयी। कुछ मामलों में बिना फॉर्म C-III लिए हुए ही वैट सहित भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार रु0 807715 की कम कटौती वैट मद में की गयी। आगे यह पाया गया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 C का उल्लंघन करते हुए आपूर्तिकर्ताओं से आयकर (2% की दर से) की कटौती नहीं की गयी एवं इस प्रकार सरकार को इस मद में रु0 155028.00 के राजस्व की हानि हुई। अतः सरकार

(12).

द्वारा अधिसूचित दर पर करों की कटौती नहीं करके आपूर्तिकर्ताओं को रु0 962743.00 (807715+ 155028) का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

करों की नियमानुसार कटौती की जाय।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VI पर)

कार्यालय का जवाब– करों की कटौती कम किये जाने की समीक्ष की जाएगी एवं संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को नोटिस दी जाएगी। भविष्य में त्रुटि न हो इसका ध्यान रखा जाएगा।

करों की कम कटौती की राशि 962743.00 रू की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से कर संबंधित शीर्ष में जमा कराया जाय।

कण्डिकाः– 3 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण में निष्फल व्यय, राशि 2991940.00 रू

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012–13 में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक– 02/स्वर्ण–06/08–1113 दिनांक 31.10.12 द्वारा नगर पंचायत जयनगर को 30 लाख रू की राशि प्राप्त हुई थी। योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार राशि का व्यय निम्न घटकों में करना थाः–

क्रम सं0	मद का नाम	प्रतिशत	राशि
01	शहरी गरीबो के बीच रोजगार बढाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (STEPUP)	40 प्रतिशत	1200000.00
02.	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP)	20 प्रतिशत	600000.00
03.	शहरी महिलाओ एवं सहायता कार्यक्रम (UWSP)	20 प्रतिशत	600000.00
04.	शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (UCDN)	10 प्रतिशत	300000.00
05.	(UWEP)	10 प्रतिशत	300000.00
		कुल	3000000.00

परंतु संचिका के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (STEPUP) घटक में कर्णांकित राशि ₹12.00 लाख रू के स्थान पर 29.92 लाख रू का व्यय किया गया अर्थात राशि 17.92 लाख रू का व्यय अन्य चार घटकों में कर्णांकित राशि से विचलन कर किया गया।

नगर विकास एवं अवास विभाग, बिहार सरकार, पटना (पत्रांक– 927 दिनांक– 06.09.12) द्वारा निर्देश दिया गया था कि STEPUP के तहत प्रषिक्षण प्रारंभ करने तथा संस्थाओं के साथ एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने के पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं पर संस्थाओ की जॉच कर ले क्योंकि समयाभाव के कारण संस्थाओ के संबंध में कोई जॉच नहीं किया गया हैः–

1. संस्था को प्रशिक्षण देने का अनुभव हो।
2. प्रशिक्षक को संबंधित व्यवसाय का 3 वर्ष का अनुभव।
3. संस्था को पर्याप्त क्लासरूम, प्रयोगशाला या अन्य अधारभूत सुविधा की उपलब्धता।
4. संस्थाओं को प्रशिक्षण के उपरांत लाभार्थियों को एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
5. प्रशिक्षण स्थल पर कम से कम 1500 वर्ग फीट का स्थान, प्रतिदिन प्रशिक्षण की अवधि 4 घंटा, कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कम से कम 10 सेट कम्पूटर।
6. संस्था को प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता।
7. जो प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार के लिए इच्छुक है, उनके आवेदन को संस्था द्वारा बैंक में निकाय के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही विभाग द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि प्रशिक्षण समाप्त होने पर पूर्णतः जॉच कर एवं पूर्णतः संतुष्ट होकर अनुमोदित दर के आधार पर ही नगरपालिका द्वारा संबंधित संस्था को राशि का भुगतान किया जाये।

कार्यालय को प्रशिक्षण हेतु कुल 990 अभ्यार्थियों द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ तथा इन्हें तीन संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिलाया गया। विवरण निम्न है –

ट्रेड का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या			कुल
	जन कल्याण समिति	जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र	मानव सेवा आश्रम	
कम्पयूटर		140	40	180
फैशन डिजाईनिंग		365	80	445
ब्यूटिशियन	70	100	100	270
ड्राइविंग		95		95
कुल	70	700	220	990

संस्था को प्रदत अग्रिम का विवरणः–

संस्था का नाम	प्रथम अग्रिम			द्वितीय अग्रिम			कुल अग्रिम
	रोकड़ बही की तिथि	चेक संख्या	राशि	रोकड़ बही की तिथि	चेक संख्या	राशि	
जन कल्याण समिति	15.01.13	004057	84000	26.03.14	दर्ज नहीं	104650	188650
जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र	15.01.13	004058	840000	26.03.14	742299	1307670	2147670
मानव सेवा आश्रम	15.01.13	004059	264000	26.03.14	742279	391620	655620
कुल			1188000			1803940	2991940

(119

भुगतान का आधारः–

ट्रेड का नाम	प्रति प्रशिक्षाणार्थी का निर्धारित व्यय (प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि हेतु)	कार्यालय द्वारा तय की गई दर	कुल प्रशिक्षाणार्थियों की संख्या	संस्थाओं को भुगतान की जाने वाली राशि	संस्थाओं को भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु लंबित राशि
1	2	3	4	5 (3x4)	6	
फैशन डिजाइनिंग	6000 से 7000	6500	445	2892500	2991940	3114060
ब्यूटिफिकेशन	5000 से 6000	5500	270	1485000		
कम्प्यूटर	6000 से 7000	6700	180	1206000		
ड्राईविंग		5500	95	522500		
			990	6106000	2991940	3114060

लेखा परीक्षा आपत्तियॉः–

संचिका के जॉच में निम्न अनियमितताएँ पाई गईः–

1. प्रशिक्षण हेतु कर्णांकित राशि 12.00 लाख रू था, परंतु कार्यालय द्वारा इस आवंटन का ध्यान न रख कर 990 युवक/युवतियों को प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया व प्रशिक्षण कराया गया, जिसके लिए प्रशिक्षण की लागत ₹ 61.06 लाख रू बनती थी (टूल व किट्स पर व्यय होने वाली राशि को छोड़कर)।
2. विभाग के दिशानिर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत ही तथा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही संस्था को प्रशिक्षण की राशि का भुगतान किया जाना था, परंतु कार्यालय द्वारा इस दिशानिर्देश के विपरीत अनयिमित रूप से संस्थाओं को प्रथम व द्वितीय अग्रिम के रूप में कमशः 11.88 व 18.04 लाख रू, कुल 29.92 लाख रू का भुगतान किया गया, जिसका आज तक समायोजन नहीं किया गया हैं।
3. विभाग के दिशा –निर्देश का उल्लंधन कर अन्य चार शीर्षों में कर्णांकित राशि ₹ 18.00 लाख में से राशि ₹ 17.92 लाख का विचलन कर प्रशिक्षण में व्यय किया गया।
4. प्रशिक्षणार्थियों को संस्थाओं द्वारा टूल व किट्स उपलब्ध नहीं कराया गया तथा न ही संस्थाओं द्वारा इसके लिए राशि की मॉग की गई।
5. कुल 990 प्रशिक्षणर्थियों में से मात्र एक संस्था जनकल्याण समिति द्वारा ही 70 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया तथा अन्य दो संस्थाओं द्वारा उनके द्वारा प्रशिक्षित किये गये 920 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया।
6. कार्यालय पत्रांक–48 दिनांक–23.01.13 द्वारा संस्थाओं को प्रशिक्षण मद में अवशेष राशि के भुगतान हेतु राशि ₹ 60 से ₹ 62 लाख तक के आवंटन की मॉग की गई। विभाग के

पत्रांक–489 दिनांक–18.01.15 एवं 366 दिनांक–25.02.16 द्वारा लंबित भुगतान हेतु स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई, जिसे कार्यालय द्वारा नहीं भेजा गया है। फलतः आवंटन कार्यालय को अब तक अप्राप्त है।

7. इस योजना के लिए निकाय स्तर पर नगर प्रबंधक को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया था। जहॉ नगर प्रबंधक पदस्थापित नहीं है, वहॉ निकाय के नगर कार्यपालक पदाधिकारी को ही यह कार्य करना था एवं नोडल पदाधिकारी इस योजना के सम्पूर्ण कार्य के लिए जिम्मेवार थे तथा इनके द्वारा प्रत्येक स्तर पर कार्य की समीक्षा की जानी थी। परंतु इस संबंध में किसी प्रकार का कोई जॉच/कार्य नहीं पाया गया।
8. प्रशिक्षण के उपरांत न्यूनतम 30 प्रतिशत प्रशिक्षाणार्थियों को संस्था द्वारा रोजगार मुहैया कराना था, परंतु एक भी प्रशिक्षाणार्थी को रोजगार मुहैया नहीं कराया गया।
9. प्रशिक्षण कराये जाने के साक्ष्य में प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति पंजी संस्थाओं द्वारा कार्यालय को समर्पित नहीं किया गया।
10. प्रशिक्षण प्रारंभ कराने से पूर्व संस्थाओं की जॉच विभाग द्वारा तय किये गये उपर्युक्त 11 बिंदुओं पर कराया जाना था, परंतु कार्यालय द्वारा इसकी जॉच किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन/साक्ष्य/दस्तावेज नहीं पाया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि ये संस्थाएँ विभाग के उपर्युक्त शर्तो को पूरा करती हों।
11. अन्य चार घटक शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP), शहरी महिलाओ एवं सहायता कार्यक्रम (UWSP), शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (UCDN) एवं शहरी महिला रोजगार कार्यक्रम (UWEP) की योजनाएँ कियान्वित नहीं की गई।
12. सरकार के दिशा निर्देशानुसार सक्षम युवक/युवतियों के आवेदन को कार्यालय द्वारा व्यवसायवार पंजी संधारित करना था, यदि किया गया हो तो इसे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कराया जाय।

कार्यालय का जवाबः–

आपति संख्या–1:– विभाग के पत्रांक–593/23.06.13 द्वारा अधिक से अधिक युवक/युवतियों को प्रशिक्षण देने का निदेश दिया गया। सरकार द्वारा प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य की सूचना नहीं दी गई थी।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा बिहार के प्रत्येक नगर पंचायत को 200 युवक/युवतियों को ही प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा इसी के अनुरूप आवंटन (पत्रांक–1113 दिनांक 31.10.12) भी दिया गया था।

आपति संख्या–2:–संस्थान के अनुरोध व अर्थाभाव के कारण प्रशिक्षण बाधित न हो इसके लिए अग्रिम दिया गया।

जवाब मान्य नहीं हैं क्योंकि संस्था को प्रशिक्षण के उपरांत ही राशि का भुगतान किया जाना था।

आपति संख्या–3:–विभाग से आवंटन की मांग की गई है, राशि प्राप्त होते ही समायोजन कर लिया जायेगा।

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि प्रत्येक घटक के लिए अलग– अलग राशि कर्णांकित थी।

आपति संख्या–4:–टूल व किट्स की राशि की मांग विभाग से की गई है।

जवाब संतोषप्रद नहीं है टूल व किट्स का वितरण नहीं किया गया है तथा प्रशिक्षण समाप्त हुए तीन वर्ष बीत चुके है एवं अब आवंटन प्राप्त होने पर कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

आपति संख्या–5:–प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने के संबंध में संस्थान से पत्राचार किया जाएगा।

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत प्रमाण पत्र वितरित किया जाना था, जो अब तक नहीं किया गया है।

आपति संख्या–6:–विभाग के पत्रों के आलोक में कार्रवाई की गई है।

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि स्पष्ट प्रतिवेदन लेखा परीक्षा अवधि तक नहीं भेजा गया था।

आपति संख्या–7:–कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर जॉच की गई है।

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण के जॉच हेतु किसी कर्मी को आदेशित नहीं किया गया।

आपति संख्या–8:–रोजगार मुहैया कराने के संबंध में संस्थान से पत्राचार किया जाएगा।

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि न्यूनतम 30 प्रतिशत युवक/युवतियों को रोजगार मुहैया कराना था, जो संस्था द्वारा नहीं किया गया।

आपति संख्या–9:–प्रशिक्षण से संबंधित उपस्थिति पंजी का अवलोकन तत्कालनी कार्य0 पदा0 द्वारा किया गया है।

परंतु इसे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आपति संख्या–10:–प्रशिक्षण कराने से पूर्व संस्थाओं की योग्यताओं का अवलोकन किया गया था।

जवाब के आलोक में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

आपति संख्या–11:–अन्य चार घटकों में प्रशिक्षण कराने से संबंधित तथ्यों की समीक्षा कर प्रतिवेदित किया जाएगा।

आपति संख्या–12:–प्राप्त आवेदन का व्यवसायवार पंजी संधारित किया गया है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष:–नगर पंचायत द्वारा न केवल राशि ₹ 17.92 लाख का विचलन अन्य मद से किया गया बल्कि राशि ₹ 3114060 (6106000– 2991940) का इस मद में अतिरिक्त देनदारी (टूल व किट्स पर व्यय होने वाली राशि को छोड़कर) का भी सृजन किया गया एवं कार्यालय द्वारा विभाग के दिशानिदेश के विपरीत प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति व पूर्ण रूप से

संतुष्ट होने के पूर्व ही संस्थाओं को अग्रिम के रूप में ₹ 29.92 लाख का अनियमित भुगतान किया गया। प्रशिक्षणर्थियों को संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं न्यूनतम 30 प्रतिशत रोजगार भी उपलब्ध नहीं कराया गया। फलतः प्रशिक्षण का उद्देश्य विफल रहा तथा इस पर किया गया व्यय ₹ 29.92 लाख निष्फल रहा। आपत्तियों का निराकरण किये जाने तक प्रशिक्षण पर व्यय राशि ₹ 2991940.00 को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कण्डिकाः– 4 बन्दोबस्ती में अनियमितताएँ

4(क)बन्दोबस्ती राशि की कम वसूली, राशि रू 7.51 लाख

बन्दोबस्ती पंजी व संचिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 के लिए सैरातों की बन्दोबस्ती में बन्दोबस्तीधारियों से बन्दोबस्ती राशि 751193.00 रू कम वसूली की गई, विवरण निम्न हैः–

कम संख्या	सैरात का नाम	2013–14		2014–15		2015–16	
		बन्दोबस्ती राशि	कम वसूली	बन्दोबस्ती राशि	कम वसूली	बन्दोबस्ती राशि	कम वसूली
1	नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत चलंत दुकानों से कर वसूली	122500	61250	139100	99793	0	0
2	शुलभ शौचालय	0	0	0	0	66500	4700
3	साईकिल टिन टिकट	17100	8550	0	0	0	0
4	रिक्शा, ताँगा, ठेला से कर वसूली	11600	5800	0	0	0	0
5	व्यवसायिक वाहनों से सेवा शुल्क एवं विकास शुल्क तथा स्थानीय नगर पंचायत कर की वसूली	595100	100000	0	0	661000	130500
6	व्यवसायिक भारी वाहनों से सेवा शुल्क एवं विकास शुल्क तथा स्थानीय नगर पंचायत कर की वसूली	391700	195850	271000	35000	419500	109750
	कुल		371450		134793		244950

बन्दोबस्ती राशि की वसूली नहीं करना कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की उदासीनता का द्योतक है। उल्लेखनीय है कि यह राशि एक से तीन वर्ष पूर्व तक के बन्दोबस्ती का बकाया हैं।

कार्यालय का जवाबः– बन्दोबस्तीधारियों से बकाया राशि की वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया गया है, पुनः कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बन्दोबस्ती राशि की वसूली हेतु कड़ी कार्रवाई की जाय एवं वसूली नहीं होने की स्थिति में जिम्मेवार पदाधिकारियों व कर्मचारियों से राशि की वसूली की जाय।

115

कण्डिकाः– 4(ख) सैरातों की बन्दोबस्ती ससमय नहीं करने के कारण राजस्व की हानि, राशि रू 2.37 लाख

निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक– 502 दिनांक–28.03.14 के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि वैसे सैरातों की बन्दोबस्ती जिसमें अवधि विस्तार का उपबंध नहीं है, की बन्दोबस्ती की जा सकती है। दो सैरातों छाटे वाहनों से कर वसूली एवं भारी वाहनों से कर वसूली के सैरातों की बन्दोबस्ती फरवरी/मार्च 2014 में नहीं हो पाने पर बन्दोबस्ती के लिए आम सूचना विलंब से दिनांक 05.07.14 को 01.08.14 से 30.03.15 तक की अवधि, कुल 8 माह के लिए निकाला गया तथा बन्दोबस्ती हुई। इस प्रकार प्रारंभ के चार माह में इन सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं होने के कारण ₹ 319298.00 के राजस्व का नुकसान हुआ। विवरण निम्न हैः–

सैरात का नाम	वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिए सुरक्षित जमा राशि	वर्ष 2012–13 में बन्दोबस्ती की राशि	वर्ष 2013–14 में बन्दोबस्ती की राशि	दो वर्षों का औसत	एक माह की औसत बन्दोबस्ती राशि	चार माह के राजस्व की क्षति
छोटे वाहनों से कर वसूली	173650	592000	595100	593550	49462	197848 (49462x4)
भारी वाहनों से कर वसूली	173650	337000	391700	364350	30362	121448 (30362x4)
					कुल	319296

इस प्रकार चार माह के लिए बन्दोबस्ती नहीं किये जाने के कारण नगर पंचायत को न्यूनतम ₹ 319296.00 के राजस्व का नुकसान हुआ।

कार्यालय का जवाबः–वर्ष 2014 में निर्वाचन काल होने के कारण समय पर बन्दोबस्ती नहीं हो सकी। विभागीय वसूली के रूप में ₹ 81950 प्राप्ति हुई।

लेखा परीक्षा के दौरान विभागीय वसूली की संचिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। पुनः ससमय सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं हो पाने के कारण राशि ₹ 237346.00 (319296– 81950) के राजस्व की हानि हुई।

कण्डिकाः– 4(ग) सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि, राशि रू 1.60 लाख

वर्ष 2015–16 के लिए सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु प्रथम तिथि दिनांक 17.03.15 को आयोजित किया गया, परंतु इस तिथि को निम्न दो सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं होने पर पुनः डाक नहीं कराया गया, जिसके कारण नगर पंचायत को न्यूनतम ₹ 159940.00 रू के राजस्व की हानि हुई, विवरण निम्न हैः–

कम संख्या	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि			कुल
		2012–13	2014–15	2015–16	
1	नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत चलंत दुकानों से कर वसूली	–	–	133870 (विभागीय वसूली– 39930.00 रू)	93940 (133870–39930)
2	साईकिल टिन टिकट	16500	–	16500	33000
3	रिक्शा, ताँगा, ढेला से कर वसूली	11000	11000	11000	33000
कुल					159940

कार्यालय का जवाबः– स्थानीय नागरिकों के मॉग पर चलंत दुकानों के क्षेत्रों की कमी कर दी गई थी, जिसके कारण कुछ राशियों की कमी आई। जहॉ तक साइकिल टिन टिकट, तांगा, ठेला से कर वसूली संबंध है इसमें बन्दोबस्तीधारियों द्वारा कोई रूची नहीं ली जाती है। क्योंकि वसूली के क्रम में विरोध का सामना करना पड़ता है। विभागीय वसूली इसलिए नहीं की जाती है कि इसमें लगने वाले मानव बल के पारिश्रमिक की भी भरपाई नहीं होगी और नगर पंचायत को राजस्व की हानि होगी।

अतः भविष्य में डाक नहीं होने की स्थिति में पुनः डाक का आयोजन किया जाय, जिससे राजस्व के नुकसान से बचा जा सके।

कण्डिकाः– 5 गृहकर के मॉग एवं वसूली की स्थिति

गृह कर माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नगर पंचायत द्वारा नही किया गया था, फलस्वरूप गृह कर की माँग एवं वसूली की सत्यता की जाँच नही की जा सकी।उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार 2012–13 से 2015–16 तक माँग एवं वसूली का विवरणी निम्नवत् था।

क्र0सं0	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	2	3	4	5	6
1	प्रारंभिक शेष	2000258	2027320	2187952	2366184
2	चालु वर्ष की माँग	195782	195782	195782	1919417
3	कुल माँग	2196040	2223102	2383734	4285601
4	वसूली	168720	35150	17550	1300690
5	अन्तशेष	2027320	2187952	2366184	2984911
6	वसूली का प्रतिशत	7.68%	1.58%	0.74%	30.35%

लेखा परीक्षा टिप्पणियॉः–

1. मकान कर माँग के विरूद्ध वसूली की गयी राशि शून्य थी।
2. 2012–13 से 2015–16 की अवधि में होल्डिंग की संख्या में वृद्धि हुई या नहीं ?
3. गृह कर का पुनरीक्षण किस वर्ष किया गया ?

कार्यालय का जवाबः–

गृह कर की मांग व वसूली पंजी का संधारण किया जाएगा। कर्मियों की कमी के कारण वसूली में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। होल्डिंग की संख्या में वृद्धि हुई हैं। गृह कर का पुनरीक्षण वर्ष 2013 में किया गया है।

अतः वसूली का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय।

कण्डिकाः– 6 स्वास्थ्य कर का अधिरोपण नहीं एवं शिक्षा कर की कम वसूली

नगर पंचायत द्वारा स्वास्थ्य कर की राशि की वसूली नहीं किया जा रहा था एवं शिक्षा कर की राशि कम ली जा रही थी। विवरण निम्न हैः–

वर्ष	गृह कर में वसूल की गई राशि	वसूली योग्य स्वास्थ्य शेष	स्वास्थ्य सेस वसूल नहीं करने के कारण हानि	वसूली योग्य शिक्षा सेस	वसूल की गई शिक्षा सेस	शिक्षा सेस में कम वसूल की गई राशि
2012–13	168720	84360	84360	84360	50616	33744
2013–14	35150	17575	17575	17575	10545	7030
2014–15	17550	8775	8775	8775	5265	3510
	कुल	110710	110710	110710	66426	44284

कार्यालय का जवाबः– स्वास्थ्य सेस व षिक्षा सेस की कम वसूली किये जाने की समीक्षा की जाएगी। आगे से इस तरह की त्रुटि न हों इस पर सावधानी बरती जायेगी।

अतः स्वास्थ्य कर की राशि की वसूली की जाय एवं शिक्षा कर की सही राशि की वसूली की जाय।

कण्डिकाः– 7 शिक्षा उपकर की राशि का प्रेषण नहीं

बिहार प्राथमिक शिक्षा उपकर अधिनियम 1959 एवं बिहार स्वास्थ्य उपकर अधिनियम 1972 के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ उपकर मदों में वसूल की गई राशि का 10 प्रतिशत वसूल शुल्क काटकर सरकारी कोष में संबंधित आय शीर्ष में प्रेषण/जमा कर देना है क्योंकि ये उपकर सरकारी राजस्व है तथा नगर निकाय मात्र इसका वसूलकर्ता के रुप में कार्य करता है। लेखा–परीक्षा में उपलब्ध कराये गयें विवरणी के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2015–16 की अवधि में शिक्षा मद् में वसूल की गयी कुल राशि ₹ 66426.00 थी, परंतु इसमें से 10 प्रतिशत वसूली शुल्क की राशि काटकर शेष राशि 59783.00 रू के सरकार को प्रेषित नहीं किया गया। विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	शिक्षा उपकर
2012–13	**50616.00**
2013–14	**10545.00**
2014–15	**5265.00**

कुल– 66426.00

कार्यालय का जवाबः—संबंधित कर्मी से स्पष्टीकरण की मॉग की जा रही है तथा भविष्य में त्रुटि न हो इसका ध्यान रखा जाएगा।

अतः राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

कण्डिकाः— 8 संचार टावरों का निबंधन नहीं एवं निबंधन व नवीनीकरण शुल्कों की वसूली नहीं किये जाने के कारण राजस्व की प्राप्ति नहीं, राशि रू 5.464 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क ₹ 30000.00 प्रति टावर एव नवीकरण शुल्क ₹ 8000.00 प्रति टावर प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 5 के अनुसार कोई भी ऑपरेटर जिन्होने पूर्व में टावर का अधिष्ठापन किया हो या करना चाहता हो, रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के साथ नगरपालिका को आवेदन देगा।

नियम 6(2) के अनुसार नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों के लिए उपर वर्णित पंजीकरण शुल्क टावर के स्थापित करने के समय के पूर्ण वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही टावर पर लगाए गए प्रत्येक एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है।

नियम 6(6) पंजीकरण शुल्क आवेदन की स्वीकृति के तुरन्त बाद देय हो जाएगा। अगर पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 6(7) वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप में देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तों 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 12(1) के अनुसार कोई संचालक इस नियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह राशि ₹ 5000.00 तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

संबंधित संचिका के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत बैरगनियॉ मे अधिष्ठापित टावरों व उन पर बकाया राशि निम्न थीः—

क्रमांक	कम्पनी का नाम	वार्ड न0	स्थापना वर्ष	नवीकरण कुल वर्ष	पंजीकरण शुल्क	नवीकरण शुल्क
1	एस्सार/एयर सेल	06	2010	06	30000	48000
2	एयर टेल	09	2007	09	30000	72000
3	टाटा डोकोमा	06	2010	06	30000	48000
4	टाटा डोकोमा	20	2009	07	30000	56000
5	एयर टेल	20	2006	10	30000	80000
कुल					150000	304000

अतिरिक्त एंटिना

क्रमांक	कम्पनी का नाम	वार्ड न0	स्थापना वर्ष	नवीकरण कुल वर्ष	पंजीकरण ष्शुल्क	नवीकरण ष्शुल्क
1	युनिनॉर	06	2014	02	18000	9600
2	रिलायंस	06	2014	02	18000	9600
3	आईडिया	06	2012	04	18000	19200
कुल					54000	38400

कुल बकाया ₹ 546400(150000+304000+54000+38400)

नई अधिसूचना के प्रभावी होने पर भी संबंधित ऑपरेटरों द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया तथा न ही कार्यालय द्वारा इस संबंध में जिसके जमीन/मकान पर मोबाईल टावर अधिष्ठापित था को नोटिस दिया गया।

नगर पंचायत के मोबाईल टावर के संचिका व कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत 05 मोबाईल टावर अधिष्ठापित तथा तीन अतिरिक्त एंटिना था तथा इन कम्पनियों द्वारा इनके अधिष्ठापन के वर्ष से ही कोई शुल्क नगर पंचायत कार्यालय को नहीं दिया गया एवं कुल मॉग राशि ₹ 5.464 लाख रू बकाया के रूप में था।

बकाया की वसूली हेतु कोई कानूनी कार्रवाई सहित कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

बकाया राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय एवं नियम 6(6) के अनुसार विलंब की अवधि के सूद की गणना कर नया मॉग प्रेषित किया जाय।

कार्यालय का जवाबः– पूर्व में कम्पनियों को नोटिस दिया गया थ। पुनः अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नोटिस दिया जाएगा।

अतः जवाब के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाय। उपर्युक्त संबंध में अपने मंतव्य से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

कण्डिकाः– 9(क) आयकर की कटौती नही, राशि ₹ 53283.00

नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत के क्षेत्र की सफाई हेतु निविदा निकालकर विभिन्न स्वयं सेवी संस्थानों से कॉन्ट्रेक्ट कर सफाई कार्य कराया गया, जिन्हें कुल ₹ 2664150.00 रू भुगतान किया गया, विवरण निम्न हैः–

सफाई का माह	भुगतान की गई राशि
सितंबर 2015	408000
अक्टूबर 2015	408000
नवंबर एवं दिसंबर 2016	816000
जनवरी एवं फरवरी 2016	816700
मार्च 2016	215450
कुल	2664150

परंतु इन स्वयं सेवी संस्थानों को राशि का भुगतान करने से पूर्व कार्यालय द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 194(C) के तहत आय कर की राशि रू 53283.00 (2 प्रतिशत) की कटौती नहीं की गई।

कार्यालय का जवाबः–आपत्ति की समीक्षा की जाएगी तत्पश्चात प्रतिवेदित की जाएगी।

चूँकि आयकर की राशि की कटौती नही की गई, अतः इस मद में हुई हानि 53283.00 रू की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से कर संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

कण्डिकाः– 9(ख) श्रम उपकर (₹ 2.59 लाख) एवं आयकर (₹ 0.62 लाख) की कटौती नहीं

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये योजना विवरणी के अनुसार टेंडर द्वारा कराये गये योजनाओं में भुगतान से पूर्व श्रम उपकर एवं आयकर की कटौती नही की गयी थी। विवरणी निम्नवत् है।

क्र0 सं0	मद्	योजना वर्ष	श्रम सेस की कटौती नहीं	आयकर की कटौती नहीं
1	2	3	4	5
1	चतुर्थ राज्य वित्त	2012-13	24768	-
2	चतुर्थ राज्य वित्त	2013-14	11531	11531
3	बी0आर0जी0एफ	2013-14	10118	9043
4	चतुर्थ राज्य वित्त	2013-14	31049	27977
5	बी0आर0जी0एफ	2013-14	30614	13728
			₹ 108080	**₹ 62279**

पुनः विभागीय योजनाओं में श्रम उपकर की कटौती नही की गयी थी। विवरणी निम्नलिखित है।

क्र0सं0	मद्	योजना वर्ष	श्रम सेस की कटौती नहीं
1	2	3	4
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	2014-15	69869
2	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	2015-16	61188
3	पेशाकर	2015-16	4327
4	13वीं वित्त आयोग	2015-16	7427
5	14वीं वित्त आयोग	2015-16	8607
			151418

कार्यालय का जवाबः—श्रम उपकर की कटौती का प्रावधान प्राक्कलन में नहीं किया गया था एवं इस आशय का पत्र भी प्राप्त नहीं था। भविष्य में नियमानुकूल श्रम उपकर की कटौती की जाएगी। कार्यालय को टैन न0 प्राप्त नहीं था एवं निविदादाताओं द्वारा अपने स्तर से आयकर जमा करने का साक्ष्य दिया जाता था। आगे से आयकर कटौती किया जायेगा।

जवाब संतोषप्रद नहीं है। नियमानुसार प्राक्कलन में श्रम उपकर का प्रावधान कर श्रम उपकर की कटौती की जानी थी तथा आयकर अधिनियम की धारा 194 (C) के तहत निविदा कार्य में आयकर की कटौती की जानी थी। अतः श्रम उपकर की कटौती नहीं की गई राशि ₹ 259498 (108080+ 151418) तथा आयकर की कटौती नहीं की गई राशि ₹ 62279.00 की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से कर संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

कण्डिकाः— 10 सीधा विनियोग, राशि ₹ 3.63 लाख

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 और 2014 के अनुसार सीधा विनियोग नहीं किया जाना है। परंतु नगर पंचायत द्वारा वसूली गई राशि का सीधा व्यय किया गया, जो नियम विरूद्ध था। सैरात रोकड़ बही एवं विविध रोकड़ बही के अनुसार वसूली गई राशि से नगद राशि क्रमशः ₹ 194976.00 एवं ₹ 168468.00, कुल ₹ 363444.00 व्यय किया गया।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट— VII पर संलग्न)

कार्यालय का जवाबः—

कुछ आकस्मिक परिस्थितियों के कारण व्यय किया गया है। आगे त्रुटि न हो इसका ध्यान रखा जाएगा। राशि का व्यय नियम के विरूद्ध किया गया एवं राशि ₹ 363444.00 को आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कण्डिकाः— 11 तेरहवीं वित्त आयोग अनुदान के मार्गदर्शिका के विपरीत योजनाओं का कियान्वयन, राशि ₹ 10.32 लाख

13वीं मद से प्राप्त अनुदान का उपयोग मार्गदर्शिका के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाना थाः—

1. न्यूनतम 50 प्रतिशत आवंटन ठोस अवषिष्ट प्रबंधन के लिए